## न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक 611 / 2015 संस्थापित दिनांक 20 / 08 / 2015 फाइलिंग नं. 230303009052015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

<u>.. अभियोजन</u>

## बनाम

- 1. सुरेश शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा उम्र 55 वर्ष
- 2. भूपेन्द्र शर्मा पुत्र छोटेलाल शर्मा उम्र 43 वर्ष
- 3. संतोष शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा उम्र 44 वर्ष
- गौरव शर्मा पुत्र विष्णु शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासीगण ग्राम ऐचाया थाना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।

........... अभियुक्तगण (अपराध अंतर्गत धारा— 294, 336, 338 भा०द0सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार) (आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता—श्री प्रवीण गुप्ता) ::- नि र्ण य -::

<u>ः– नि र्ण य –ः</u> (आज दिनांक 26.05.2017 को घोषित)

आरोपीगण पर दिनांक 07.07.15 को 11:00 बजे फरियादी राजकुमार शर्मा के घर के सामने आम रोड ऐंचाया में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी राजकुमार शर्मा को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, उसी समय उपेक्षा अथवा उतावलेपन से अपनी बंदूक से हवाई फायर कर मानवजीवन संकटापन्न करने तथा उपेक्षा अथवा उतावलेपलन से अपनी बंदूक से हवाई फायर कर फरियादी राजकुमार शर्मा को चोट पहुंचाकर उसे गंभीर उपहित कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 294,338 एवं 336 के अंतर्गत आरोप है।

- 3. उक्त अनुसार आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी राजकुमार शर्मा द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा0दं0सं0 की धारा 294 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरूद्ध मात्र भा0द0सं0 की धारा 336 के अंतर्गत विचारण शेष है।
- 5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उन्हें प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।

## इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 07.07.15 को 11:00 बजे फरियादी राजकुमार शर्मा के घर के सामने आम रोड ऐंचाया में उपेक्षा अथवा उतावलेपन से अपनी बंदूक से हवाई फायर कर मानवजीवन संकटापन्न किया?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी राजकुमार अ0सा01 एवं भूरीबाई अ0सा02 को परीक्षित कराया गया है जबिक आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कमांक 1

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी राजकुमार अ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व

3

की ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे की है। उसका आरोपीगण से जमीन को लेकर मुंहवाद हो गया था। आरोपीगण ने उससे गाली गलौच की थी। झूमा झटकी हुई थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी उसने घटना की रिपोर्ट थाने पर की थी जो प्राणी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षिवरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने झगड़े के दौरान हवाई फायर किए थे जिसके छर्रे उसकी दांहिनी कनपटी एवं दांहिने हाथ पर लगे थे। उक्त साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने उक्त बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी01 एवं पुलिस कथन प्र0पी02 में पुलिस को लिखाई थी।

- साक्षी भूरीबाई अ0सा02 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि उसके लडके का आरोपीगण के साथ मुंहवाद हो गया था गाली गलौंच हो गई थी अन्य कोई बात नहीं हुई थी। नक्शामीका प्र0पी03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्ता साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि झगड़े के दौरान आरोपींगण बंदूक लेकर आ गए थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपींगण ने हवाई फायर किया था जिससे उसके लडके राजकुमार के हाथ में चोट आई थी। उक्त साक्षी ने प्र0पी04 का पुलिस कथन भी पुलिस को न देना बताया है।
- तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत 9. प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।
- प्रस्तुत प्रकरण में यह उल्लेखनीय है के फरियादी राजकुमार द्वारा आरोपीगण से 10. राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा0दं0सं0 की धारा 294 एवं 338 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरूद्ध मात्र भा0दं0सं0 की धारा 336 के अंतर्गत विचारण शेष है। उक्त संबंध में फरियादी राजकुमार अ०सा०१ ने अपने कथन में आरोपीगण से मात्र मुंहवाद होना आरोपीगण द्वारा गाली गलौंच कर लेना बताया है एवं व्यक्त किया है कि अन्य कोई बात नहीं हुई। साक्षी भूरीबाई अ०सा०२ ने भी फरियादी राजकुमार का आरोपीगण से मात्र मुंहवाद एवं गाली गलौंच होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त दोनों ही साक्षियों ने इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने अपनी बंदूक से हवाई फायर किए थे स्वयं फरियादी राजकुमार अ०सा०१ ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने झगडे के दौरान हवाई फायर किए थे जिससे उसका जीवन संकट में पड गया था। फरियादी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा हवाई फायर करने वाली बात अपनी रिपोर्ट प्र0पी01 एवं पुलिस कथन प्र0पी02 में पुलिस को बताई थी।
- इस प्रकार फरियादी राजकुमार अ०सा०1 एवं भूरीबाई अ०सा०2 द्वारा न्यायालय के समक्ष्ज्ञ अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा हवाई

फायर करने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियाजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने उपेक्षा अथवा उतावलेपन से अपनी बंदूक से हवाई फायर कर मानवजीवन संकटापन्न किया। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपींगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

- यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरूद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।
- प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 07.07.15 को ग्यारह बजे फरियादी राजकुमार शर्मा के घर के सामने आम रोड ऐंचाया में उपेक्षा अथवा उतावलेपन से अपनी बंदूक से हवाई फायर कर मानवजीवन संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी सुरेश शर्मा, भूपेन्द्र शर्मा, गौरव शर्मा एवं संतोष शर्मा को भा0दं0 सं0 की धारा 336 के आरोप से दोषमुक्त करती हैं।
- आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं। उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते 14. हैं।
- प्रकरण में जप्तशुदा राइफल पूर्व से उसके अनुज्ञप्तिधारी की सुपुर्दगी पर है। अतः उसके संबंध में सुपूर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशन का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद ्राहा / — सही / — सही / — (प्रतिष्ठा अवस्थी) — यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चेशहर जिला भिण्ड(म०प्र०) योहद जिला भिण्ड(म०प्र०) दिनांक — 26—05—2017 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

निर्देशन में टंकित किया गया।